

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिघोषणा :-

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा संख्या ---83-----/भू अ०

दिनांक-29/11/18-

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- जसीडीह-बैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच लेवल कॉसिंग 04/E -(सतसंग नगर) के स्थान पर पथ उपरी पुल (ROB) निर्माण परियोजना हेतु, ग्राम-मधुसूदन छोराट, थाना-देवघर, थाना संख्या-255 अंचल-देवघर, जिला-देवघर के कुल-8976.25 वर्गफीट भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 8976.25 वर्गफीट है और जो ग्राम-मधुसूदन छोराट, थाना-देवघर, थाना संख्या-255, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०/TPP No.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10/2 911	5/1461	बसौड़ी	मकान में सहन	1240	दिलीप सिंह।	अंश मौजा-मधुसूदन छोराट	मौजा-कल्याणपुर नं० 398	अंश रकवा	रोड सत्संग भिरखी बाद
2	-	6/T.No/145 7	बसौड़ी	मकान में सहन	1222.5	सचिव सतसंग आश्रम।				
3	01/2 901	7/T.P No 1458	बसौड़ी	मकान में सहन	1736.2 5	श्री मानजी भाई पटेल पे० स्व० आनजी पटेल				
4	02	8/T.P	बसौड़ी	मकान में सहन	765	अभय कुमार पांडे पे० स्व० रामाकांत पांडे।				
5	02/2 902	9/1457	बसौड़ी	मकान में सहन	750	गौरी शंकर पंडित पे० स्व० मनेजर पंडित वो महेन्द्र पंडित वो नागेन्द्र पंडित वो गोलू पंडित पे० स्व० मांगन पंडित।				
6	02/2 902	10/1457	बसौड़ी	मकान में सहन	292.5	अर्चना गुप्ता पति राज किशोर गुप्ता पे० स्व० मथुरा प्र० साह।				
7	02/2 902	11/1457T.P	बसौड	मकान में सहन	315	राजपति देवी पति देवनन्दन प्रसाद।				
8	02/2 902	12/T.P.N.14 57	बसौड	मकान में सहन	757.5	प्रमोद रंजन उर्फ कुमुद रंजन वो संजय रंजन यादव वो शशि रंजन राय वो संतोष रंजन पे० यमुना प्रसाद				
9	02/2 909	14/T.P.N/14 57	बसौड़ी	मकान में सहन	975	तथैव				
10	0/29 09	13/T.P.N/14 57	बसौड़ी	मकान में सहन	922.5	प्रभु नारायण यादव पे० स्व० चमन गोप।				
कुल रकवा (वर्गफीट)-					8976.25					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम स०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्रामX थानाX थाना संख्याX अंचलX जिला भूमि अर्जन पदाधिकारीX के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।


29/11/18
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 83.../ भू अ०, देवघर, दिनांक 29/11/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला अवर निबंधक, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


29/11/18
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।